

अनुदान संख्या 10 – वाणिज्य विभाग
GRANT No. 10 – DEPARTMENT OF COMMERCE

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-			
पूरक	Supplementary	1,35,00	1,16,68	-18,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	4699,01,00		
			6820,06,00	6563,08,81
पूरक	Supplementary	2121,05,00		-256,97,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			233,69,91
पूंजीगत—	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	287,00,00		
			867,01,00	787,00,00
पूरक	Supplementary	580,01,00		-80,01,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			80,01,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत हिस्से में, कुल बचत (₹25697.19 लाख) जुलाई, 2021, दिसंबर, 2021 तथा मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹212105.00 लाख के पूरक अनुदान का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

1. In the voted portion of revenue section of the grant, the overall savings (₹25697.19 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary grants of ₹212105.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
Total	Actual	Saving -
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	15000.00			
पू.	S.	1.00	12437.00	12102.15	-334.85
पु.	R.	-2564.00			
मुख्य शीर्ष "2407"	Major Head "2407"				
बागान	Plantations				
मू.	O.	55540.00			
पू.	S.	3.00	70139.10	70138.96	-0.14
पु.	R.	14596.10			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	30000.00			
पू.	S.	2.00
पु.	R.	-30002.00			
मुख्य शीर्ष "3453"	Major Head "3453"				
विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	369361.00			
पू.	S.	212099.00	576059.99	574067.70	-1992.29
पु.	R.	-5400.01			

(I) ₹40565.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहाय इसमें में ₹40002.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:—

(I) Provision of ₹40565.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹40002.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

- (क) "चाय - अन्य व्यय - बोर्ड प्राधिकरण तथा स्वायत्त निकाय" - ₹24920.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)-
- (ख) "कॉफी - अन्य व्यय - बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" - ₹1080.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ग) "रबड़ - अन्य व्यय - बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" - ₹2770.50 लाख; (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (घ) "मसाले - अन्य व्यय - बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" - ₹690.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और
- (ङ) "अन्य व्यय - बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" - ₹540.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" - "निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता - कृषि संबंधी निर्यात नीति का कार्यान्वयन" - ₹10000.00 लाख - इस स्कीम को विदेश व्यापार महानिदेशालय की डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब स्कीम के साथ मिलाए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3453" - "निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता- बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" - के अंतर्गत ₹27763.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1606.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹29369.00 लाख किया गया। तथापि, ₹6577.33 लाख

(A) Major Head "2552"-

- (a) "Tea - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies"- ₹24920.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);
- (b) "Coffee- Other Expenditure- Boards Authorities and Autonomous Bodies"- ₹1080.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);
- (c) "Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2770.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);
- (d) "Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹690.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh); and
- (e) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹540.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3453" - "Assistance for Export Promotion and Market Development - Implementation of Agriculture Export Policy" - ₹10000.00 lakhs - due to merging of scheme with the District Export Hub Scheme of Directorate General of Foreign Trade.

(II) Under Major Head "3453" - "Assistance for Export Promotion and Market Development - Board Authorities and Autonomous Bodies" - the original provision of ₹27763.00 lakhs was augmented to ₹29369.00 lakhs by obtaining supplementary grant

(पूरक अनुदान सहित) की बचत – कोविड-19 महामारी के कारण मुख्य गढ़ी कॉम्प्लेक्स में आईआईएफटी भवन के निर्माण में विलंब के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3453" – "निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता – निर्यात संवर्धन स्कीमें" – ₹21000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹74400.50 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹95400.50 लाख किया गया जो, तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण स्कीमों के अंतर्गत कम कार्यक्रम/कार्यकलाप किए जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹6241.91 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वाणिज्य विभाग" के अंतर्गत – ₹2834.65 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14826.00 के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम छुट्टी यात्रा रियायत दावे मिलने, कम दौरे किए जाने और कोविड-19 महामारी के कारण अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2407" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुई:-

(का) "चाय – पुनः बागान के लिए सहायिकी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹772.85 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4730.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "कॉफी" –

(क) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹713.25 लाख की बचत (₹1209.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नियमित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके अनुमोदित नहीं होने के कारण हुई।

of ₹1606.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6577.33 lakhs (including supplementary grant) -due to delay in construction of IIFT Building at Main Garhi Complex owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under Major Head "3453" - "Assistance for Export Promotion and Market Development - Export Promotion Schemes" - the original provision of ₹21000.00 lakhs was augmented to ₹95400.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹74400.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹6241.91 lakhs - due to fewer events/activities under the schemes owing to COVID-19 pandemic and receipt of less claims from implementing agencies.

(IV) Under Major Head "3451" - "Secretariat – Department of Commerce" – saving of ₹2834.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14826.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, less leave travel concession claims, less foreign tours undertaken and requirement of less funds towards other establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(V) Under Major Head "2407"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Tea - Subsidy for re-plantation – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – saving of ₹772.85 lakh (against the total sanctioned provision of ₹4730.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); and

(B) "Coffee" -

(a) "Tribal Area Sub-Plan – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – saving of ₹713.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1209.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-approval of modalities for implementation of regular scheme

(ख) "बागान के लिए सहायिकियां – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1130.20 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1900.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के मांग प्रेरित होने के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त की वजह से हुई।

(b) "Subsidies for Plantation – Boards Authorities & Autonomous Bodies" – saving of ₹1130.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1900.20 lakhs including token supplementary of ₹0.20 lakh) was due to receipt of less proposals, scheme being demand driven.

(VI) मुख्य शीर्ष "3453" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "3453"- savings occurred under the following heads:-

(का) "विदेश व्यापार नियंत्रण" – "महानिदेशक विदेश व्यापार" – ₹1242.31 लाख की बचत (₹13879.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade" - saving of ₹1242.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13879.00 lakhs); and

(खा) "व्यापार सूचना तथा सांख्यिकी – महानिदेशक वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी" – ₹728.26 लाख की बचत (₹3510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Trade Information and Statistics – Director General of Commercial Intelligence and Statistics" - saving of ₹728.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3510.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड-19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, कम छुट्टी यात्रा रियायत दावे प्राप्त होने, कम छुट्टी नकदीकरण दावे प्राप्त होने और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession claims, less leave encashment claims and requirement of less funds towards other establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(गा) "निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता – निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास संगठनों को सहायता अनुदान" – ₹14293.09 लाख की बचत (₹37700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ड्युटी ड्रा बैक स्कीम के अंतर्गत कम दावे मिलने के कारण हुई।

(C) "Assistance for Export Promotion and Market Development – Grants-in-aid to Export Promotion and Market Development Organisations" - saving of ₹14293.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37700.00 lakhs) was due to receipt of less claims under Duty Draw Back Scheme.

(घा) "अन्य व्यय – अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन" – ₹1941.64 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अगले वित्तीय वर्ष तक स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(D) "Other Expenditure – International Conferences" - saving of ₹ 1941.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to postponement of International Conference to next financial year owing to COVID-19 pandemic.

(VII) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1558.45 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 85 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹53004.67 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1212104.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407" –

(क) "चाय" –

(i) "उपकर संग्रहण के अंतर्गत भुगतान – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹799.59 लाख।

(ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹3802.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3801.97 लाख था।

(ख) "कॉफी"–

(i) "उपकर संग्रहण के अंतर्गत भुगतान – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹840.80 लाख।

(ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹818.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹818.70 लाख था।

(गा) "रबड़" –

(VII) Under five heads savings of ₹1558.45 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 14 percent to 85 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹53004.67 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1212104.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2407" –

(a) "Tea" –

(i) Payment against collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies" – ₹799.59 lakhs.

(ii) "Other Expenditure – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – ₹3802.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3801.97 lakhs.

(b) "Coffee"–

(i) Payment against collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies" – ₹840.80 lakhs.

(ii) "Other Expenditure – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – ₹818.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹818.70 lakhs.

(c) "Rubber" –

- (i) "उपकर संग्रहण के अंतर्गत भुगतान – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹5999.70 लाख।
- (ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹4164.90 लाख।
- (घा) "मसाले" –
- (i) "उपकर संग्रहण के अंतर्गत भुगतान – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹620.70 लाख।
- (ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1618.90 लाख।
- (गा) मुख्य शीर्ष "3453" –
- (क) "विदेश व्यापार नियंत्रण – अवसंरचना तथा आईटी आदि का आधुनिकीकरण" – ₹613.84 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹439.86 लाख था।
- (ख) "निर्यात सहायिकी – प्री तथा पोस्ट शिपमेंट रुपए एक्सपोर्ट क्रेडिट पर ब्याज समीकरण स्कीम" – ₹22706.54 लाख।
- (ग) "निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास के लिए सहायता – विशेषीकृत कृषि उत्पाद (टीएमए) के लिए परिवहन और बाजार सहायता" – ₹9999.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹9998.15 लाख था।
- (घ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अनुसंधान तथा विकास" – ₹1019.40 लाख।
- (i) "Payments against collection of Cess – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – ₹5999.70 lakhs.
- (ii) "Other Expenditure – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – excess of ₹4164.90 lakhs.
- (d) "Spices"-
- (i) "Payments against collection of Cess – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – ₹620.70 lakhs.
- (ii) "Other Expenditure – Boards Authorities and Autonomous Bodies" – ₹1618.90 lakhs.
- (B) Major Head "3453" –
- (a) "Foreign Trade Control – Modernisation of Infrastructure & IT etc." - ₹613.84 lakhs. Actual excess, however, was ₹439.86 lakhs.
- (b) "Export Subsidy –Interest Equalisation Scheme on pre and post Shipment Rupee Export Credit" – ₹22706.54 lakhs.
- (c) "Assistance for Export Promotion and Market Development – Transport and Marketing Assistance for Specified Agriculture Products (TMA)" – ₹9999.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹9998.15 lakhs.
- (d) "International Cooperation – Research and Development" - ₹1019.40 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3453" "व्यापार रिपरजेन्टेशन – व्यापार आयुक्त" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं: – ₹965.32 लाख का अधिक व्यय (₹19939.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीपीडब्ल्यूडी के बिलों का निपटान करने, वेतन तथा भत्तों और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों में वृद्धि के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹315.45 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹8001.00 लाख) जुलाई, 2021 तथा दिसंबर, 2021 में प्राप्त किए गए ₹58001.00 लाख के पूरक अनुदान का 14 प्रतिशत थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईं:—

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "7465"	Major Head "7465"	
सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं के लिए ऋण	Loans for General Financial and Trading Institutions	
पू.	S.	8001.00
पु.	R.	-8001.00

(I) ₹8001.00 लाख का पूरक प्रावधान "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – खनिज तथा धातु व्यापार निगम" के अंतर्गत – सरकार द्वारा नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का विनिवेश करने का निर्णय लिए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3453" – "Trade Representation – Trade Commissioners" - excess of ₹965.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19939.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of CPWD bills, increase in pay and allowances and other establishment related expenses.

(III) Under one head excess of ₹315.45 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provisions.

3. In the capital section of the grant, the overall saving (₹8001.00 lakh) constituted 14 percent of the supplementary grant of ₹58001.00 lakhs obtained in July, 2021 and December, 2021 and 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
..

(I) Supplementary provision of ₹8001.00 lakhs remained wholly unutilized under "Loans to Public Sector and other Undertakings – Minerals and Metals Trading Corporation" – due to decision of disinvestment of Neelachal Ispat Nigam Limited taken by the Government.